28-05-2020

आवेदक सुरेश पाटीदार द्वारा श्री अरविंद मुरैरा उप.

अनावेदक/शासन द्वारा श्रीमति गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक उप.।

प्रकरण आवेदक के आवेदन पत्र धारा 451, 457 दं. प्र.सं. पर तर्क हेतु प्रस्तुत।

पुलिस थाना सैलाना रतलाम के अपराध क. 123/20 धारा 379 भा.द.स. एवं धारा 136 म.प्र. विद्युत अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन पी.डी.एफ. फॉर्मेट मे ईमेल पर प्राप्त।

आवेदक सुरेश के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 451,457 द.प्र.सं. पर तर्क सुने गए।

आवेदक के अधिवक्ता ने आवेदन पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि उसके स्वत्व की जे.सी.बी. मशीन को कार्य हेतु ठेकेदार को सुपुर्द किया था। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं

| Date of order or proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|

किया गया है। उसे उक्त जे.सी.बी. चेसिस नंबर N.K.J.770 EXAKKHO 3825 एवं इंजन नंबर 8045.45.731–272009 की उसे दैनिक जीवन में आवश्यकता है। वह न्यायालय की प्रत्येक शर्तो का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः प्रकरण में जप्त उक्त वाहन एवं मोबाईल फोन को सुपुर्दगी में प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

लोक अभियोजक ने प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आपत्ति कर निवेदन किया हैं कि उक्त वाहन का शासकिय संपत्ति की चोरी मे प्रयोग किया गया है। वाहन का स्वामी फरार है। अतः प्रस्तुत आवेदनपत्र को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

थाने से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार अभियुक्त के द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर शासकीय बिजली के तारों को चोरी करने मे जे.सी.बी. के माध्यम से सहयोग करने का आक्षेप उल्लेखित है। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न आवेदक सुरेश के टेक्स इन वॉइस, म.प्र. ट्रांसपोर्ट विभाग को प्रदत्त फीस, बीमा पॉलिसी के अवलोकन से उक्त जप्त जे.सी.बी वाहन कमांक N.K.J.770 EXAKKHO 3825 आवेदक के स्वामित्व का है।

उक्त प्रश्नगत वाहन को प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण मे जप्त किया गया है। उक्त वाहन को थाने में रखने से उनकी की उपयोगिता में कमी आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वाहन के संबंध मे कोई भी विवेचना शेष नहीं है।

अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदक सुरेश पाटीदार के द्वारा 1,00,000/– (एक लाख रूपए) का सुपुर्दनामा निम्न शर्तो के अधीन–

1. आवेदक उक्त जे.सी.बी. वाहन को किसी प्रकार से प्रकरण के निराकरण तक अंतरित एवं विकय नहीं करेगा।
2. वह वाहन के रंग, रूप एंव मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा।
3. आवेदक न्यायालय के आदेश पर उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, तो आवेदक को उक्त जे.सी.बी. वाहन क. चेसिस नंबर N.K.J.770 EXAKKHO 3825

Scanned with CamScanner

# Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . . . . .of 20 . .

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|
| | एवं इंजन नंबर 8045.45.731–272009 प्रकरण के अंतिम निराकरण तक सुपुदर्गी में प्रदान की जावे।<br>जप्तशुदा वाहन का रिहाई आदेश जारी किया जावे। पत्रावली को अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर मूल प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।<br>28/5/20<br>तरूण सिंह<br>चर्तुथ अपर जिला न्यायाधीश<br>रतलाम म.प्र. | |

Scanned with CamScanner